विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है। पहले अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप समाहित है। दूसरे अध्याय में छत्तीसगढ़ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर एक लेखापरीक्षा सम्मिलित है। तीसरे अध्याय में लेन–देन से संबंधित नौ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल है। लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 521.68 करोड़ है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य में 21 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम [1] थे। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। 30 सितम्बर 2016 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ₹ 21579.75 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया एवं ₹ 1108.05 करोड़ की हानि उठाई। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में, 31 मार्च 2016 को 20317 कर्मचारी नियोजित थे।

(कंडिका 1.1)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2016 को राज्य के 22 पीएसयूज (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 27881.71 करोड़ था, जो कि 2011–12 के ₹ 17734.35 करोड़ से 57.22 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 44.28 प्रतिशत पूँजी तथा 55.72 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। पीएसयूज में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2011–12 में ₹ 17301.26 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 25157.36 करोड़ हो गया। 2015–16 के दौरान शासन ने समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 2524.42 करोड़ का अंशदान किया।

(कंडिका 1.6,1.7 एवं 1.8)

अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 22 पीएसयूज में से 12 पीएसयूज ने ₹ 488.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ पीएसयूज ने ₹ 1596.98 करोड़ की हानि उठाई। एक पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई एवं एक पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 1554.17 करोड़ एवं ₹ 40.32 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 1.15)

---

[1]छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम

लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान 20 कार्यशील पीएसयूज (एक सांविधिक निगम सहित) के 23 अंतिमीकृत लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों को मर्यादित प्रमाण–पत्र, 17 लेखों को अमर्यादित प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का वर्ष के दौरान 15 लेखों में 26 मामलों में गैर अनुपालन देखा गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों की गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया।

(कंडिका 1.18 एवं 1.19)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

30 सितम्बर 2016 तक पंद्रह पीएसयूज के 33 लेखे बकाया है। लंबित लेखे की अवधि एक से पाँच वर्ष की है। पीएसयूज को बकाया के निराकरण पर विशेष ध्यान देते हुए लेखों को तैयार करने संबंधी कार्य हेतु लक्ष्यों के निर्धारण की आवश्यकता है।

(कंडिका1.10)

2 सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 छत्तीसगढ़ में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

प्रस्तावना

2009–10 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की वितरण व्यवस्था की हानियाँ अत्याधिक उच्च 36.29 प्रतिशत के औसत पर थी। इस प्रकार के विषयों पर ध्यान देकर विद्युत क्षेत्र में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को भारत सरकार द्वारा सुधार एवं पुनर्नामांकित (जुलाई 2008) कर "पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी)" किया गया और सितम्बर 2009 में छत्तीसगढ में लागू किया। आर–एपीडीआरपी के मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था में विद्युत की हानि { कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि } को स्थायी तौर पर 15 प्रतिशत तक कम करना, सटीक बेसलाइन डाटा एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली स्थापित करना और ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना था। योजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया। आर–एपीडीआरपी की कुल परियोजना लागत ₹ 873.75 करोड़ थी।

आर–एपीडीआरपी की परियोजनाऐं भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) छत्तीसगढ़ के चुने हुए 20 शहरों में ₹ 122.45 करोड़ की परियोजना लागत के साथ, पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आँकड़े अभिग्रहण प्रणाली (स्काडा) ₹ 41.06 करोड़ के परियोजना लागत के साथ चुने हुए 2 शहरों में तथा भाग–ब (वितरण प्रणाली में सुदृढ़ीकरण) ₹ 710.24 करोड़ की परियोजना लागत के साथ 19 चुने हुए शहरों में क्रियान्वित हुए है।

बेसलाइन डाटा की स्थापना, ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण के लिए आईटी का प्रयोग व 17 माड्युल के साथ आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्र का क्रियान्वयन भाग–अ में सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों में स्काडा/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित किये जा रहे थे। नियमित वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य भाग–ब में सम्मिलित किये गये। योजना का भाग–अ अगस्त 2015 तक पूर्ण किया गया। जबकि स्काडा के

कार्यान्वयन में मार्च 2016 तक कोई प्रगति नहीं थी। योजना के भाग–ब के संबंध में मार्च 2016 तक 84 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गयी।

विद्युत वितरण हानियाँ (एटीएण्डसी हानियाँ)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 के दौरान, 20 शहरों में विद्युत वितरण हानियाँ की सीमा 8.57 प्रतिशत से 63.52 प्रतिशत के बीच थी। ₹ 540.46 करोड़ खर्च होने (मार्च 2016 तक) के बावजूद, 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ में एटीएण्डसी हानियाँ के लक्ष्य 15 प्रतिशत को 20 शहरों में से सिर्फ चार शहर ही हासिल कर सके। पाँच शहरों के संबंध में 2014–15 की तुलना में 2015–16 में इन शहरों के एटीएण्डसी हानियाँ कम होने के स्थान पर बढ़ गयी। शेष 11 शहरों में, यद्यपि हानियाँ कम हुई है किन्तु 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। एटीएण्डसी हानियों के कम न हो पाने का मुख्य कारण कार्यों के कार्यान्वयन में कमी, विद्युत चोरी की अत्याधिक दर, चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही में कमी इत्यादि थे। इस प्रकार, कम्पनी योजना के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.13.1)

परियोजनाओं के पूर्ण हुए बिना गो–लाइव की घोषणा

प्रणाली हेतु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार एक परियोजित शहर को गो–लाइव घोषित करने के लिए आईटी समर्थ प्रणाली की स्थापना व मानवदखल रहित ऑनलाइन एटीएण्डसी हानियों की प्रतिवेदन की प्राप्ति आवश्यक है। योजना के भाग–अ (आईटी समर्थ प्रणाली) के अन्तर्गत कम्पनी ने सभी शहरों को अगस्त 2015 तक गो–लाइव घोषित कर दिया।

जबकि योजना के भाग–अ के अन्तर्गत प्रावधान किये गये 17 माड्युल में से तीन माड्युल में कमियाँ पायी गयी। ग्राहक संतुष्टि सेवा माड्युल में ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के लिए प्रावधान नहीं किया गया, अनुरक्षण प्रबंधन माड्युल के द्वारा सभी फीडर ट्रिपिंग्स को रिकार्ड नहीं किया जा रहा था और नये सर्विस कनेक्शन माड्युल का पूर्णरूप से उपयोग नये सर्विस कनेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा शिकायतों के निवारण की निगरानी नहीं कि जा सकी, अनुरक्षणों के आँकडे उपलब्ध नहीं थे और उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा 10 शहरों में हितग्राहियों का सर्वेक्षण किया गया, उपभोक्ताओं के 61 प्रतिशत (500 सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से) को ग्राहक संतुष्टि सेवाओं के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी परिणामस्वरूप, उनके द्वारा अपनी शिकायतों, प्रश्नों व अन्य बिलिंग से संबंधित समस्याओं को पंजीकृत करने के लिए टेलीफोन या ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 10 शहरों में सर्वेक्षित उपभोक्ताओं के 16 प्रतिशत (500 में से 82 उपभोक्ताओं) द्वारा शिकायत की गयी कि उनके मीटरों की गणना नियमित रुप से नहीं की जा रही है तथा ऊर्जा प्रभार औसत उपभोग के आधार पर प्रदान किये जा रहे है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि उपभोक्ताओं के 9 प्रतिशत (500 में से 47) द्वारा बिजली का बिल समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। शिकायतों के निराकरण में विलंब के बावजुद भी शासन व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) द्वारा कम्पनी को शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.10.1, 2.1.10.4, 2.1.10.5, 2.1.10.6 एवं 2.1.10.8)

उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन

कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं के डाटाबेस का अद्यतन पूर्ण नहीं किया गया जैसा कि 9.51 लाख उपभोक्ताओं में से 1.99 लाख (21 प्रतिशत) उपभोक्ताओं का सूचीकरण नहीं किया गया था क्योंकि कम्पनी के द्वारा नियमित तौर पर उपभोक्ताओं के डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली विकसित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.10.7)

ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए मॉडेम

नेटवर्क समस्या, तारो में खराबी, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, खराब मॉडेम इत्यादि कारणों से वितरण ट्रासफार्मर (डीटीआर) और फीडर के लिए ऊर्जा आँकड़े प्राप्त करने के लिए लगाये गये 10361 मॉडेम में से सिर्फ 3240 मॉडेम ही 31 मार्च 2016 तक आँकडों का संचार कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, डीटीआर और फीडरो के ऊर्जा आँकाड़ों के संचार में कमी को पूरा करने के लिए कम्पनी को ऊर्जा आँकड़ों की हस्त प्रविष्टियाँ करनी पड़ी जिससे कि योजना के उद्देश्य ऊर्जा लेखांकन/अंकेक्षण में मानव दखल की समाप्ति पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.10.3)

स्काडा का कियान्वयन

इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार स्काडा ₹ 41.06 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ दो शहरों में लागू किया जाना था। जबकि, स्काडा क्रियान्वयन संस्था (एसआईए) के नियुक्ति में विलंब, एसआईए की ओर से निष्क्रियता व कम्पनी द्वारा स्काडा समर्थ अद्योसंरचना सुविधा प्रदत्त न किये जाने के कारण चार वर्षों से भी अधिक समय व्यतित होने के बाद भी परियोजनाओं में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, कम्पनी रिमोट आपरेशन के माध्यम से प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार करने में विफल रही।

(कंडिका 2.1.11 एवं 2.1.11.1)

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर योजना की राशि ₹ 317.33 करोड़ योजना खाते के स्थान पर अपने ओवरड्राफ्ट खाते में जमा कर दिये जिससे योजना खाते पर ₹ 1.70 करोड़ ब्याज आय की हानि हुई। इसके अलावा, योजना की राशि ₹ 312.09 करोड़ तुरन्त आवश्यकता से पहले निकाल लिये गये और 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए सावधि जमा कर दिये गये। निकाली गयी राशि पर सावधि जमा पर प्राप्त राशि से अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना पर ₹ 6.23 करोड़ परिहार्य ब्याज का भार पड़ा तथा योजना राशि पर अर्जित ब्याज आय 21.02 करोड़ योजना खाते में क्रेडिट नहीं किये गये।

(कंडिका 2.1.8.1 एवं 2.1.8.2)

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी और प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (एसएलडीआरसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप योजना के शर्तों के अनुपालन में तथा योजना का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन कर लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसएलडीआरसी प्रभावी निगरानी नहीं रख पायी।

(कंडिका 2.1.14.1)

2.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन पर लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) जून 2001 में खनिजों के दोहन, खनन तथा विपणन के उद्देश्य से निगमित की गई।

कम्पनी द्वारा खनन एवं विपणन गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग

कम्पनी खनिजों का खनन एवं विपणन स्वयं नहीं करती तथा उनके लिए निजी ठेकेदारों को कार्यादेश देती थी। 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने केवल बॉक्साईट अयस्क का खनन एवं विपणन निजी ठेकेदारों द्वारा किया तथा टिन अयस्क का व्यापार (क्रय एवं विक्रय) किया। खनन पूर्व गतिविधियाँ जैसे प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करना, पूर्वेक्षण तथा संवैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना इत्यादि भी इन गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग का लागत–लाभ विश्लेषण किये बिना बाह्य एजेंसियों द्वारा करवाया जाता था।

(कंडिका 2.2.2)

कोयला ब्लॉकों का विकास

कम्पनी कोयला ब्लॉकों का विकास करने तथा खनन प्रारंभ करने में विफल रही यद्यपि, उत्पादन प्रारंभ करने के माइलस्टोन पूर्ण करने में करीब दो वर्षों से लेकर सात वर्षों से अधिक की चूक हुई तथा इन ब्लॉकों पर कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण राशि व्यय की गई। विफलता के मुख्य कारण भूगर्भीय प्रतिवेदनों को तैयार करने, विभिन्न आवश्यकताओं जैसे माइनिंग लीज, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा भू–अर्जन इत्यादि के लिए आवेदन करने में असाधारण विलंब थे। कम्पनी को हुए पाँच कोयला ब्लॉकों के आबटंन को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितंबर 2014) के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा खनन पूर्व कार्यों पर व्यय किए गए ₹ 339.24 करोड़ व्यर्थ हो गए।

(कंडिका 2.2.4.1)

बॉक्साईट अयस्क का खनन एवं विपणन

खनन पूर्व गतिविधियों की अवधि का अनुचित रूप से बढ़ाया जाना

केसरा–II, III, IV, बरिमा–VI तथा नागाढ़ांढ़ बॉक्साईट खदानों के खनन एवं विपणन के ठेके में कम्पनी ने खनन पूर्व गतिविधियों को पूर्ण करने की अवधि को अनुचित रूप से बढ़ाया। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2009 से दिसंबर 2013 के दौरान ₹ 9.30 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.5.2)

माइनिंग प्लान तथा अनुबंध का पालन करने में विफलता

कम्पनी ने अनुबंधात्मक प्रावधानों के तहत ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में निगरानी तथा समय पर कार्यवाही नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप, दलदली बॉक्साईट खदान में बॉक्साईट के खनन एवं विपणन कर रहे ठेकेदार ने अनुबंध तथा अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार मासिक निर्धारित मात्रा के बजाय वास्तविक मात्रा का भुगतान किया।

(कंडिका 2.2.5.10)

लौह अयस्क का खनन

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ एमओयू

कम्पनी ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को सम्मिलित कर संयुक्त उपक्रम अनुबंध का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के बाद भी एकलामा लौह अयस्क निक्षेप के विकास के लिए सेल के साथ हुए एमओयू का निष्पादन नहीं किया तथा लौह अयस्क हेतु माइनिंग लीज का आवेदन करने में विलंब किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 100 मिलियन टन के अनुमानित लौह अयस्क भण्डारों के दोहन का अवसर गवां दिया।

(कंडिका 2.2.6.1)

प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

कम्पनी जिला कांकेर के अरीडोंगरी लौह अयस्क खदान को संचालित करने में विफल रही क्योंकि प्री–फीसिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्थाई निर्देशों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण माइनिंग लीज प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग तथा प्रारंभिक अन्वेषण कार्यों में व्यय की गई राशि ₹ 75.30 लाख चार से आठ वर्षों की अवधि के लिए अवरूद्ध रही।

(कंडिका 2.2.6.2)

कोलंबाईट का व्यापार

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तें

कोलंबाईट के व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शर्तों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.35 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.8)

पर्यावरणीय तथा अन्य विनियमनों का अनुपालन

कम्पनी दलदली बॉक्साईट खदान में वातावरण में वायु की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण तथा वृक्षारोपण से संबंधित पर्यावरणीय विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही।

दलदली बॉक्साईट खदान की संयुक्त जाँच से यह उजागर हुआ कि:

- ठेकेदार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता का निर्धारण करने हेतु विश्लेषण नहीं किया जा रहा था;
- खदान में ध्वनि के स्तर को अभिलिखित/निगरानी करने हेतु कोई भी प्रणाली प्रयुक्त नहीं की गई थी तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग्स/एयर टाईट संचालन केबिन नहीं दिए गए थे;
- यद्यपि प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता थी, खनन की गई भूमि पर कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.9)

3. लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन–देन से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है, जिसमें गंभीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत् प्रकृति की है:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण छः प्रकरणों में ₹ 127.98 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 एवं 3.9)

त्रुटिपूर्ण–दोषपूर्ण नियोजन के कारण दो प्रकरणों में ₹ 3.16 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.3 एवं 3.8)

लेन–देन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में विदेशी मदिरा के क्रय मूल्य का अंतिमीकरण निविदा के नियम एवं शर्तों के साथ ही साथ संचालक मण्डल के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उच्चतर दर पर निर्धारण किया, जिसके फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 112.87 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(कंडिका 3.1)

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध ₹ 20000 से अधिक के व्यवसायिक व्यय नकद में तथा बिना टीडीएस काटे भुगतान किया, जिसके कारण ₹ 6.10 करोड़ का व्यवसायिक व्यय अमान्य हुआ परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 3.2)

आधिक्य धान बीज के विक्रय की सक्रिय विपणन रणनीति की कमी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को ₹ 2.18 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 44.40 करोड़ का सिविल कार्य प्रथम निविदा में प्राप्त दो बोलियों में से दर की उचित रूप से जॉच किए बिना अत्यधिक उच्चतम दर पर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.4)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने भू–प्रीमियम कम दर से वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 75.46 लाख की हानि हुई एवं निजी पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, अग्रिम भुगतान से संबंधित एमओयू के प्रावधानों को लागू करने तथा दाण्डिक ब्याज के सम्बन्ध में एमओयू में उपयुक्त उपवाक्य सम्मिलित करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी को केएफसीएससीएल से ₹ 6.18 करोड़ के ब्याज की वसूली न कर पाने के कारण हानि हुई।

(कंडिका 3.6)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित निम्न ब्याज दर के प्रस्ताव को समय पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप नकद साख सीमा पर ₹ 98.27 लाख ब्याज का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.8)